प्रारंभिक परीक्षा

यूरेशियन ऊदबिलाव(Eurasian Otter)

संदर्भ

कश्मीर घाटी में लंबे समय से विलुप्त समझे जाने वाले यूरेशियन ऊदबिलाव को लगभग 30 वर्षों के बाद फिर से देखा गया है, जो स्थानीय जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।

यूरेशियन ऊदबिलाव के बारे में -

- **इसे यूरोपीय ऊदबिलाव, सामान्य ऊदबिलाव या पुरानी दुनिया का ऊदबिलाव भी कहा जाता है।**
- यूरेशिया का मूल निवासी एक अर्ध-जलीय मांसाहारी स्तनपायी।
- कश्मीर में स्थानीय रूप से "**वुडर**" के रूप में जाना जाता है, जो कभी घाटी के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक सामान्य हिस्सा था।

वितरण -

- पैलेआर्कटिक क्षेत्र में सबसे व्यापक रूप से फैले स्तनधारियों में से एक।
- यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, रूस, चीन और एशिया के अन्य भागों में पाया जाता है।
- भारत में, यह उत्तरी, उत्तरपूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है, विशेष रूप से ठंडी पहाड़ी धाराओं और पहाड़ी नदियों में।
- मीठे पानी और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की एक किस्म में निवास करता है:
    - नदियाँ, धाराएँ, झीलें, दलदल, दलदली जंगल और मुहाना।
- आकार या उत्पत्ति की परवाह किए बिना, उच्चभूमि और निम्नभूमि दोनों जल निकायों के प्रति सहनशील।

मुख्य विशेषताएं और अनुकूलन -

- स्वभाव से पकड़ में न आने वाला और एकाकी।
- भूरे रंग का फर, नीचे का भाग हल्का; लम्बा, लचीला शरीर, जालदार पैर, तथा मोटी पूँछ।
- **जलीय अनुकूलन**:
    - पानी के अंदर कान और नाक बंद कर सकते हैं।
    - घने फर इन्सुलेशन के लिए हवा को फँसाते हैं।
- दृष्टि, गंध और श्रवण की क्षमता अत्यधिक विकसित होती है।

प्रमुख खतरे -

- जल प्रदूषण (विशेषकर कीटनाशक और औद्योगिक अपशिष्ट)।
- इसके बहुमूल्य फर के लिए अवैध शिकार।

संरक्षण की स्थिति -

- **IUCN रेड लिस्ट:** निकट संकटग्रस्त
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (भारत)**: अनुसूची II
- **CITES**: परिशिष्ट I (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अत्यधिक प्रतिबंधित है)

स्रोत: IndianExpress

वाइब्रेंट विलेज 2.0

संदर्भ

वाइब्रेंट विलेज 2.0 के तहत उत्तराखंड के 40 गांवों को पुनर्जीवित किया जाएगा, जिसमें चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों के छह ब्लॉक शामिल होंगे।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के बारे में -

- **2023 में शुरू की गई VVP एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों का समग्र विकास करना है।**
- **इसका दोहरा उद्देश्य सीमावर्ती निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है।**
- **कवर किए गए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (VVP-I):** अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख।

मुख्य उद्देश्य -

- सुदूर सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना तथा आजीविका के अवसर पैदा करना।
- सीमा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा में स्थानीय समुदायों को भागीदार के रूप में शामिल करना।
- सीमापार अपराधों पर अंकुश लगाना और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना।

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम - 2.0 (VVP-2.0) -

- 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित पहल।
- **कुल परिव्यय:** ₹6,839 करोड़।
- **कार्यान्वयन अवधि:** वित्त वर्ष 2028-29 तक।
- **कवर किए गए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (VVP-II):** अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

VVP-I और VVP-II दोनों का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और जीवंत बनाना है, साथ ही जनसंख्या पलायन और सीमा खतरों के लिए एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करना है।

स्रोत: TheHindu

पोसोन पोया महोत्सव

संदर्भ

श्रीलंका में 10-11 जून, 2025 को पोसोन पोया मनाया गया, जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के 2,000 वर्ष से अधिक का प्रतीक है।

पोसोन पोया के बारे में -

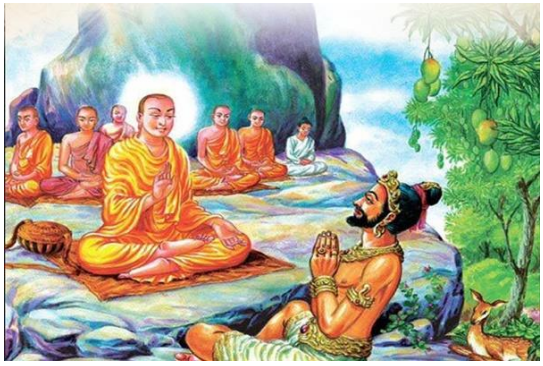

- **जून पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला वार्षिक बौद्ध उत्सव।**
- वेसाक के बाद श्रीलंका में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध उत्सव।
- **तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महिंदा के आगमन की याद दिलाता है।**
- अरहत महिंदा ने मिहिंताले में राजा देवनमपियातिसा को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया।
- मिहिंताले और अनुराधापुरा में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम।
- **अनुयायी**:
    - सफेद कपड़े पहनते है ,
    - मंदिर जाते है, ध्यान करते है,
    - भोजन चढ़ाते है, लालटेन जलाते है,
    - दंसल्स (निःशुल्क भोजन स्टालों) और धार्मिक आयोजनों में भाग लेते है।
- यह उत्सव अहिंसा, करुणा और एकता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है।

श्रीलंका में बौद्ध धर्म -

- छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में सिद्धार्थ गौतम (बुद्ध) द्वारा स्थापित।
- **मुख्य शिक्षाएँ:** चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग।
- **श्रीलंका में 236 ईसा पूर्व में अरहत महिंदा द्वारा प्रस्तुत किया गया।**
- **राजा देवनमपियातिसा द्वारा स्वीकार किए जाने से थेरवाद बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मंदिरों, स्तूपों और मजबूत मठवासी परंपराओं का निर्माण हुआ।**

स्रोत: NewsOnAIR

संत कबीरदास

संदर्भ

11 जून 2025 को संत कबीरदास जयंती मनाई गई, जो उनकी 648वीं जयंती थी और यह उनकी आध्यात्मिक एकता और सामाजिक सुधार की विरासत को सम्मानित करने के लिए मनाई गई।

संत कबीर दास कौन थे?

- **वाराणसी, उत्तर प्रदेश के 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि, भक्ति संत और समाज सुधारक।**
- उनका **जन्म 1440 में** हुआ था, ऐसा माना जाता है कि उनका पालन-पोषण एक मुस्लिम बुनकर परिवार में हुआ था।
- धार्मिक सद्भाव और आध्यात्मिक सार्वभौमिकता के प्रतीक।
- उल्लेखनीय कृतियों में शामिल हैं:
    - बीजक, साखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर।
    - गुरु ग्रंथ साहिब में कई छंद शामिल हैं।

कबीर का दर्शन -

- **स्वयं के भीतर ईश्वर**: उन्होंने अनुष्ठानों की अपेक्षा आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया तथा कहा कि ईश्वर मूर्तियों या मंदिरों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर निवास करता है।
- **निर्गुण भक्ति**: निराकार, सार्वभौमिक परमात्मा (निर्गुण ब्रह्म) के प्रति समर्पण की वकालत की गई - व्यक्तिगत देवताओं की नहीं।
- **अनुष्ठानों की अस्वीकृति**: धार्मिक रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और जाति-आधारित भेदभाव का विरोध किया।
- **हठधर्मिता की अपेक्षा नैतिक जीवन**: विनम्रता, सेवा, सादगी और नाम-स्मरण (ईश्वरीय नाम का जाप) पर बल दिया गया।
- **समानता और अहिंसा:** सभी के लिए सामाजिक न्याय , अहिंसा और मानवीय गरिमा का समर्थन किया।

कबीर का प्रभाव -

- **कबीर पंथ**: उनकी शिक्षाओं पर आधारित एक भक्ति संप्रदाय, जो आध्यात्मिक अभ्यास में समानता और सादगी को बढ़ावा देता है।
- **सिख धर्म पर प्रभाव**: गुरु नानक द्वारा अत्यधिक आदरणीय; कबीर के कई भजन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं।
- **सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया**: दादू पंथियों और अन्य समूहों को प्रभावित किया जिन्होंने जातिवाद और कर्मकांड का विरोध किया।
- **सार्वभौमिक अपील**: हिन्दू और मुसलमान दोनों द्वारा आदरणीय कबीर, सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने वाले आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं।

स्रोत: IndianExpress

माल्टा गोल्डन पासपोर्ट(Malta Golden Passport)

संदर्भ

अप्रैल 2025 में यूरोपीय न्यायालय ने माल्टा की गोल्डन पासपोर्ट योजना को रद्द कर दिया था, क्योंकि इसमें यूरोपीय संघ की नागरिकता को वाणिज्यिक लेनदेन में बदल दिया गया था, जो यूरोपीय संघ के सिद्धांतों का उल्लंघन था।

माल्टा की गोल्डन पासपोर्ट योजना के बारे में -

- **2020 में शुरू की गई इस योजना ने विदेशी नागरिकों को बड़े वित्तीय निवेश के बदले में माल्टा की नागरिकता हासिल करने की अनुमति दी।**
- **माल्टा की नागरिकता का मतलब था स्वचालित रूप से यूरोपीय संघ की नागरिकता, जिससे पूरे यूरोपीय संघ में मुक्त आवागमन, काम, मतदान और निवास जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं।**
- आलोचकों ने तर्क दिया कि इसने यूरोपीय संघ की नागरिकता का व्यवसायीकरण किया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और सुरक्षा जोखिम बढ़ गए।
- अधिकांश लाभार्थी चीन, रूस और पश्चिम एशिया से थे।
- 2013-2019 के बीच, लगभग 1.32 लाख लोगों ने सीबीआई और आरबीआई योजनाओं के माध्यम से यूरोपीय संघ में प्रवेश किया, जिससे €20 बिलियन से अधिक की कमाई हुई।
- यूरोपीय आयोग और अदालत ने कहा कि इसने यूरोपीय संघ के देशों के बीच विश्वास को कम किया और यूरोपीय संघ की संधियों का उल्लंघन किया।
- **2025 में, यूरोपीय न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर इस योजना को अमान्य कर दिया, जिससे माल्टा का गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम समाप्त हो गया।**
- माल्टा की योजना आपसी विश्वास, निष्पक्ष सहयोग और भेदभाव विरोधी यूरोपीय संघ के कानूनों से टकराती थी।
- न्यायालय ने वित्तीय लाभ के बजाय नैतिक नागरिकता प्रथाओं को प्राथमिकता दी।

स्रोत: TheHindu

उच्च सागर संधि(High Seas Treaty)

संदर्भ

आगामी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत द्वारा 'उच्च सागर संधि' का अनुसमर्थन किये जाने की संभावना नहीं है।

उच्च सागर संधि के बारे में -

- **आधिकारिक तौर पर इसका शीर्षक "राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता (BBNJ)" है, जिसे आमतौर पर उच्च समुद्र संधि के रूप में जाना जाता है।**
- यह UNCLOS(समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) के तहत एक नया अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा है जिसका **उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे स्थित महासागर पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना** है।
- **इसकी आवश्यकता क्यों है:**
  - केवल 1.2% उच्च सागर संरक्षित है।
  - 10% समुद्री प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है।
  - खतरों में अत्यधिक मछली पकड़ना, गहरे समुद्र में खनन, अम्लीकरण और प्रदूषण शामिल हैं।
  - इस तरह की संधि की मांग दो दशकों से अधिक समय से चल रही है।
- **यह UNCLOS के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता है, इससे पहले 1982 में ऐसा समझौता हुआ था।**
- **मुख्य वार्ताकार:** यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने प्रमुख भूमिका निभाई।
- **30x30 लक्ष्य का समर्थन:** 2030 तक 30% भूमि और समुद्र की रक्षा करना।
- **यह कानूनी रूप से महासागर के दो-तिहाई हिस्से की सुरक्षा करता है, जो पृथ्वी की सतह के 40% से अधिक हिस्से को कवर करता है।**
- **लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों और तटीय आजीविका के लिए महत्वपूर्ण।**

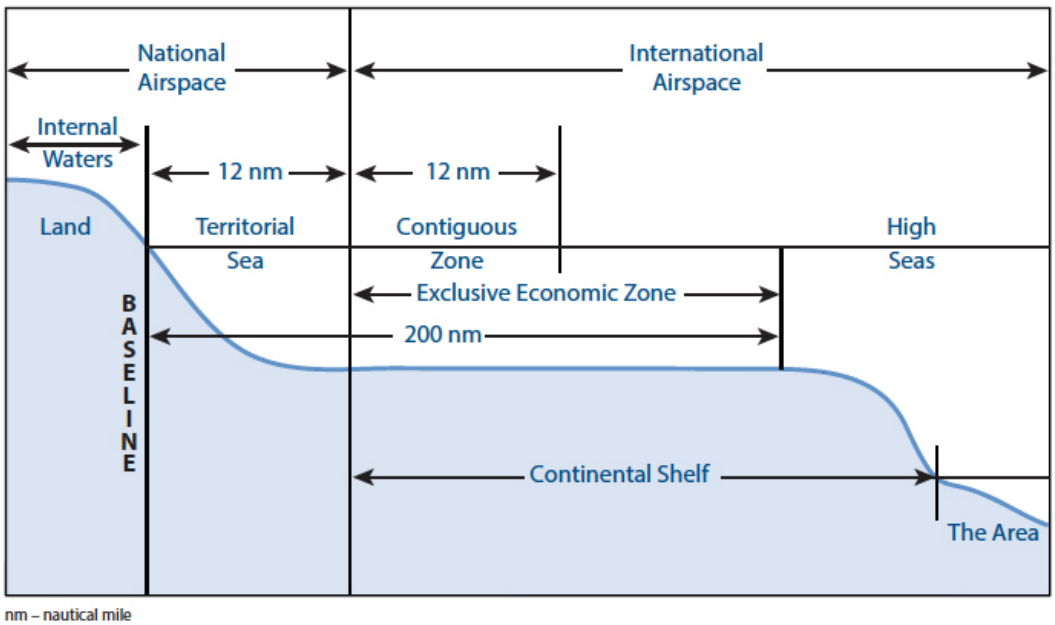

Legal Boundaries of the Oceans and Airspace

मुख्य उद्देश्य:

- समुद्री संरक्षण
- न्यायसंगत लाभ साझाकरण
- क्षमता निर्माण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
- समुद्री संरक्षित क्षेत्र (एमपीए) बनाना

- अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) के लिए नियम निर्धारित करना

भारत और उच्च सागर संधि -

- **फ्रांस के नीस में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत द्वारा उच्च सागर संधि (BBNJ) की पुष्टि किए जाने की संभावना नहीं है।**
- **भारत ने सितंबर 2024 में संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन औपचारिक पुष्टि अभी भी लंबित है।**
- पुष्टि से पहले जैविक विविधता अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है - मानसून सत्र (12 जुलाई-12 अगस्त) के बाद अपेक्षित है।
- 10 जून तक, 49 देशों ने संधि की पुष्टि की है; यह 60 पुष्टि के बाद प्रभावी होगी।
- **भारत ने अपनी समुद्री पहलों पर प्रकाश डाला:**
    - **समुद्रयान मिशन:** 2026 तक 6,000 मीटर तक परीक्षण गोता।
    - ब्लू इकोनॉमी में $80+ बिलियन का निवेश।
    - वैश्विक प्लास्टिक संधि का आह्वान किया।
    - '**SAHAV**' डिजिटल महासागर डेटा पोर्टल लॉन्च किया।

भारत को उच्च सागर संधि के अनुसमर्थन के बारे में चिंता क्यों है?

- **समानता की चिंताएँ**: भारत विकासशील देशों के साथ समुद्री आनुवंशिक संसाधन लाभों का उचित बंटवारा चाहता है।
- उच्च समुद्र से वाणिज्यिक निष्कर्षण कठिन है, और लाभ-साझाकरण नियमों पर अभी भी बातचीत चल रही है।
- **कार्यान्वयन के मुद्दे:** अंतर्राष्ट्रीय जल में ईआईए और एमपीए का व्यावहारिक प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण है।
- **अनुसमर्थन में देरी:** भारत औपचारिक अनुसमर्थन से पहले संधि को घरेलू कानूनों के साथ संरेखित कर रहा है।

स्रोत: TheHindu

आपदा रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन(CDRI)

संदर्भ

हाल ही में, आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICDRI) का 7वां संस्करण फ्रांस के नीस में आयोजित किया गया।

CDRI के बारे में -

- **उद्देश्य**: जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिमों के प्रति बुनियादी ढांचा प्रणालियों की लचीलापन को मजबूत करना।
- **2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया।**
- **मुख्यालय**: नई दिल्ली, भारत।
- **साझेदारी**: इसमें **46 देश** और **8 अंतर्राष्ट्रीय साझेदार संगठन शामिल हैं**।
    - इसमें राष्ट्रीय सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और निजी क्षेत्र शामिल हैं
- **वित्तपोषण**: सदस्य देशों और संगठनों से स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से समर्थित।
- **प्रमुख दाता**: भारत (मेजबान देश), संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और विश्व बैंक।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:**
    - लघु द्वीप विकासशील राज्य (एसआईडीएस)
    - शहरी लचीलापन
    - डेटा और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ
    - वित्त और शासन
    - महत्वपूर्ण और सामाजिक बुनियादी ढांचा
    - पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र
    - अफ्रीका-केंद्रित परियोजनाएं
    - प्रमुख घटनाओं के लिए लचीलापन
    - अनुसंधान और नवाचार
    - क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
- **शासन संरचना**
    - **शासी परिषद**: इसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं; इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है।
    - **कार्यकारी समिति**: कार्यक्रमों और परियोजनाओं की देखरेख करती है; वर्ष में दो बार बैठक करती है।
    - **सचिवालय**: महानिदेशक के नेतृत्व में; दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करता है।

स्रोत: The Hindu

पांड्य काल

संदर्भ

तमिलनाडु के मदुरै जिले में उत्तर पांड्य काल का 800 वर्ष पुराना शिव मंदिर खोजा गया है।

मुख्य निष्कर्ष -

- **शिव मंदिर के जल चैनल (पुलिया) पर वर्ष 1217-1218 ई. का एक पुराना पत्थर का शिलालेख मिला।**
- **यह पांड्य राजा मारवर्मन सुंदर पांड्य के शासन काल का है।**
- मंदिर को **थेन्नावनीश्वरम** कहा जाता था, और यह अत्तूर नामक गाँव में स्थित था, जिसे अब उदमपट्टी के नाम से जाना जाता है।
    - **शब्द "थेन्नावन" वास्तव में पांड्य राजाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक उपाधि थी।**
- शिलालेख से पता चलता है कि मंदिर अपने पैसे का प्रबंधन खुद करता था और उस समय लोग कैसे रहते थे और काम करते थे, इस बारे में उपयोगी जानकारी देता है।

पांड्य राजवंश -

- **प्रारंभिक पांड्य राजवंश:** कालभ्रों के पतन के बाद, छठी शताब्दी के अंत में दक्षिणी तमिलनाडु में पांड्य सत्ता में आए।
    - उनका प्रारंभिक पतन तब शुरू हुआ जब चोल राजा परंतक प्रथम ने पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को पराजित किया।
- **परवर्ती पांड्य राजवंश:** चोलों के पतन के बाद, 13वीं शताब्दी ई. में पांड्य पुनः प्रमुख तमिल शक्ति के रूप में उभरे।
    - सदाय्यावर्मन सुन्दरपाण्ड्यन (1251-1268 ई.) एक उल्लेखनीय शासक थे जिन्होंने अपना साम्राज्य तमिलनाडु से लेकर आंध्र में नेल्लोर तक फैलाया था।
    - उनके बाद मारवर्मन कुलशेखरन ने शासन किया, जिन्होंने 40 वर्षों तक शासन किया और शांति और समृद्धि स्थापित की।
    - मलिक काफूर के आक्रमण के बाद राजवंश का अंत हो गया, जिससे आंतरिक विभाजन पैदा हो गया।

प्रशासन -

- **पांड्य क्षेत्र को पांड्यमंडलम, थेनमंडलम या पांड्यनाडु कहा जाता था।**
- वैगई और तामिरापर्णी जैसी उपजाऊ नदी घाटियों को छोड़कर यह क्षेत्र ज़्यादातर चट्टानी और पहाड़ी था।
- **मदुरै पांड्य राजाओं की पसंदीदा राजधानी थी।**
- **प्रशासनिक प्रभाग थे**: पांड्यमंडलम → वलनाडु → नाडु → कुर्रम (गाँवों का समूह)।
- ब्राह्मण बस्तियाँ, जिन्हें मंगलम या चतुर्वेदीमंगलम के नाम से जाना जाता था, सिंचाई सुविधाओं के साथ बनाई गई थीं और उन्हें शाही या दैवीय नाम दिए गए थे।
- **प्रमुख प्रशासनिक पद:**
    - प्रधान मंत्री: उत्तरामंत्री
    - शाही सचिवालय: एलुट्टू मंडपम
    - सैन्य कमांडर: पल्ली वेलन, परांतकन पल्लीवेलन, मारन अदित्तन, तेनावन तमिझावेल
- पंड्या के नियंत्रण में मुख्य बंदरगाह शहर कयालपट्टिनम (वर्तमान थूथुकुडी जिले में) था।

सामाजिक और राजनीतिक पहलू -

- **शाही महलों को तिरुमालीगई या मनापरन तिरुमालीगई के नाम से जाना जाता था।**

- शाही सोफे का नाम अक्सर स्थानीय प्रमुखों के नाम पर रखा जाता था, जो मान्यता प्राप्त अधिपत्य को दर्शाता था।
- **व्यवसाय के आधार पर भूमि वर्गीकरण:**
    - ब्राह्मणों के लिए: सालबोगम
    - लोहारों के लिए: तत्तरकनी
    - बढ़ई के लिए: तक्कु-मनियम
    - ब्राह्मण शिक्षकों के लिए: भट्टवृति

स्रोत: **The Hindu**

संपादकीय सारांश

बाल श्रम

संदर्भ

- **हर साल 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के तत्वावधान में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है।**
    - इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को संगठित करना है।
    - विभिन्न प्रयासों के बावजूद, यह मुद्दा, विशेष रूप से विकासशील देशों में, अभी भी गहराई से व्याप्त है।

बाल श्रम उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य -

- सतत विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 8.7 का लक्ष्य है: "जबरन श्रम को समाप्त करने, आधुनिक दासता और मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करना, और बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग सहित बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों के निषेध और उन्मूलन को सुनिश्चित करना, और 2025 तक सभी रूपों में बाल श्रम को समाप्त करना।"

भारत में बाल श्रम की स्थिति -

- **जनगणना 2011 के अनुसार, 5-14 आयु वर्ग के 43.53 लाख (4.35 मिलियन) बच्चे बाल श्रम में शामिल थे।**
- **भारत में बाल श्रम निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रित है:**
    - बीड़ी बनाना (तम्बाकू),
    - कालीन बुनाई,
    - आतिशबाजी उद्योग (विशेष रूप से तमिलनाडु में),
    - ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में कृषि एवं घरेलू कार्य
- कोविड-19 महामारी ने कुछ प्रगति को उलट दिया, क्योंकि कई बच्चे आर्थिक दबाव के कारण स्कूल छोड़ चुके थे और वापस नहीं लौटे।

भारत में बाल श्रम से जुड़ी चुनौतियाँ -

चुनौती	व्याख्या एवं उदाहरण
गरीबी	परिवार बाल श्रम को एक आर्थिक आवश्यकता के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में कृषि मजदूरी, राजस्थान में पत्थर की फैक्ट्रियाँ आदि।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अभाव	अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और उच्च ड्रॉपआउट दर। कई बच्चे, विशेषकर लड़कियाँ, स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाती हैं।
कानूनों का कमज़ोर प्रवर्तन	**बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986** जैसे कानूनी ढाँचों के बावजूद, प्रवर्तन अक्सर ढीला रहता है। उदाहरण के लिए, शिवकाशी (तमिलनाडु) में पटाखा इकाइयों को बार-बार जांच का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे नाबालिगों को काम पर रखना जारी रखते हैं।

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और छिपा हुआ श्रम	कई बाल मजदूर घरों, खेतों या परिवार द्वारा संचालित व्यवसायों में काम करते समय "अदृश्य" होते हैं।
सांस्कृतिक स्वीकृति और सामाजिक मानदंड	कुछ समुदायों में बाल श्रम सामान्य बात है, जहां बच्चों से छोटी उम्र से ही परिवार का भरण-पोषण करने की अपेक्षा की जाती है।
अंतर-पीढ़ीगत ऋण और बंधुआ मजदूरी	कई बच्चों को परिवार का कर्ज चुकाने के लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह ईंट भट्टों और खदानों में देखा जाता है।

बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकारी प्रयास -

संवैधानिक प्रावधान

लेख	प्रावधान	महत्व
अनुच्छेद 21ए	शिक्षा का अधिकार	6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बनाकर बाल श्रम को रोकता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया।
अनुच्छेद 24	बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध	कारखानों, खदानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।
अनुच्छेद 39(ई)	राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी)	राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न हो तथा बचपन और युवावस्था को शोषण और खतरनाक रोजगार से बचाया जाए।
अनुच्छेद 39(एफ)	डीपीएसपी - विकास और अवसर	राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर दिए जाएं।
अनुच्छेद 45	डीपीएसपी - प्रारंभिक बचपन देखभाल	मूल रूप से इसका ध्यान 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा पर केन्द्रित था। 86वें संशोधन के बाद, यह राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है।

विधायी उपाय

बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (2016 में संशोधित) -

- **सभी व्यवसायों** में **14 वर्ष से कम आयु के बच्चों** के नियोजन पर प्रतिबन्ध लगाता है।
- **किशोरों (14-18 वर्ष) को खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं** में काम करने से रोकता है।
- **कठोर सजा का प्रावधान:**
  - **नियोक्ता**: ₹20,000-₹50,000 जुर्माना और/या 2 वर्ष तक कारावास।
  - **माता-पिता**: उन्हें सजा से छूट दी जाएगी, जब तक कि वे बार-बार बच्चों को श्रम के लिए मजबूर न करें।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

- 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है।
- स्कूल में नामांकन को बढ़ावा मिलता है और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आती है, जिसके कारण बाल श्रम होता है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

- दुर्व्यवहार और उपेक्षा का एक रूप मानता है।
- बाल संरक्षण तंत्र के अंतर्गत उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की अनुमति देता है।

योजनाएँ और कार्यक्रम

- **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना**
  - **1988 में शुरू**
  - बचाए गए बाल श्रमिकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वजीफा, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है।
  - बाल श्रम प्रभावित जिलों में पुनर्वास केन्द्र संचालित करता है।
- **समग्र शिक्षा अभियान:** स्कूल न जाने वाले और कामकाजी बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।
- **मध्याह्न भोजन योजना:** बच्चों को निःशुल्क पका हुआ भोजन उपलब्ध कराकर स्कूल में उपस्थिति को प्रोत्साहित किया जाता है।
  - गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो जाता है।
- **कौशल भारत**: युवाओं (14-18 वर्ष) को औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करना, असुरक्षित कार्य को कम करना।

जागरूकता अभियान -

- **"पेन्सिल पोर्टल" (2017 में लॉन्च):** बाल श्रम निषेध के प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच।

- डेटा, शिकायत प्रबंधन और बचाव कार्यों को एकीकृत करता है।
- **चाइल्डलाइन 1098**: बाल श्रम या दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए 24×7 हेल्पलाइन।
- **सोशल मीडिया अभियान और स्कूल अभियान: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (12 जून)** और **बाल अधिकार सप्ताह** के दौरान नियमित अभियान।

आगे की राह

उपाय	विवरण
प्रवर्तन को मजबूत करना	**सीएलपीआरए (संशोधन अधिनियम), 2016** जैसे कानूनों का सख्त क्रियान्वयन, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच	**शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009** का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, जिसमें प्रतिधारण पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।
कमज़ोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	बच्चों की आय पर निर्भरता कम करने के लिए **पीएम-किसान**, **मनरेगा** और **मध्याह्न भोजन** जैसी कल्याणकारी योजनाओं का कवरेज बढ़ाना।
जागरूकता अभियान	मीडिया, स्कूलों और समुदायों को शामिल करते हुए जन अभियान के माध्यम से बाल श्रम के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना।
कौशल विकास और किशोर सहायता	14-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और सुरक्षित कार्य विकल्प प्रदान करना।
सामुदायिक लामबंदी	स्थानीय स्वामित्व और निगरानी को, जैसा कि वेलपुर मॉडल में देखा गया है, पूरे भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

वेलपुर मॉडल – एक समुदाय-नेतृत्व वाली सफलता की कहानी

- **स्थान**: वेलपुर मंडल, निज़ामाबाद जिला, तेलंगाना (तब आंध्र प्रदेश)

प्रमुख विशेषताऐं:

- **2001 में, सभी बच्चों (5-15 वर्ष) को स्कूल भेजने और बाल श्रम को खत्म करने के लिए 100 दिवसीय समुदाय संचालित अभियान शुरू किया गया था।**
- **प्रारंभिक प्रतिरोध:** जनता की ओर से गलत सूचना और शत्रुता।
- **परिवर्तन:** निरंतर सहभागिता के साथ, समुदाय ने आंदोलन को अपना लिया।
- **परिणाम:**
  - **2 अक्टूबर 2001 को वेलपुर को बाल-श्रम मुक्त घोषित किया गया।**
  - नियोक्ताओं ने 35 लाख रुपये के ऋण माफ कर बच्चों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया।
  - प्रत्येक सरपंच ने स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
  - स्थानीय बोर्डों ने घोषणा की: "हमारे गांव में कोई बाल श्रम नहीं है।"
  - आईएलओ, वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मान्यता।
  - दो दशकों से अधिक समय तक निरन्तर सफलता का एक दुर्लभ उदाहरण।

निष्कर्ष: वेलपुर की सफलता यह दर्शाती है कि सामाजिक सुधार तभी टिकाऊ होता है जब वह एक जन आंदोलन बन जाता है, जिसे स्थानीय नेतृत्व और राज्य क्षमता का समर्थन प्राप्त हो।

निष्कर्ष

बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई सिर्फ़ एक कानूनी या नीतिगत चुनौती नहीं है - यह एक नैतिक अनिवार्यता है। जबकि भारत ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, वेलपुर मॉडल साबित करता है कि असली बदलाव जमीनी स्तर पर शुरू होता है, जहाँ समुदाय अपने बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी लेते हैं। सरकारी सहायता, कानूनी प्रवर्तन और नागरिक समाज की भागीदारी के साथ ऐसे मॉडलों को आगे बढ़ाने से भारत को SDG 8.7 लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिल सकती है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि हर बच्चे को जीवन में एक उचित शुरुआत मिले।

स्रोत: **The Hindu: Recounting Velpur's Story in Ending Child Labour**

भारत में किशोर अपराध

संदर्भ

- ब्रिटिश मिनी-सीरीज़ *Adolescence* ने किशोरों द्वारा किए जा रहे हिंसक अपराधों की बढ़ती घटनाओं, विशेष रूप से लड़कों के बीच, पर वैश्विक चर्चाओं को फिर से जीवंत कर दिया है।
- यह शो साइबरबुलिंग, ऑनलाइन स्त्रीद्वेष और किशोरावस्था की मनोविज्ञान जैसी जटिल समस्याओं पर प्रकाश डालता है—जो भारत सहित कई देशों में तेजी से प्रासंगिक होती जा रही हैं।

भारत में किशोर अपराधों की स्थिति -

- **हिंसक अपराधों में वृद्धि:** जबकि कानून के साथ संघर्ष में किशोरों की कुल संख्या 2017 में 37,402 से घटकर 2022 में 33,261 हो गई, हिंसक अपराधों का अनुपात बढ़ गया।
    - 2016 में 32.5% किशोर हिंसक अपराधों के लिए पकड़े गये।
    - 2022 तक यह तेजी से बढ़कर 49.5% हो गया - जो कि सभी किशोर गिरफ्तारियों का लगभग आधा है।

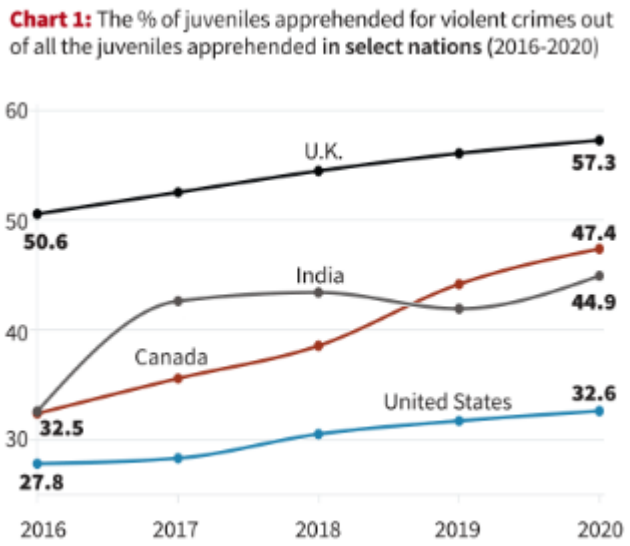

- **हिंसक अपराधों की प्रकृति**: एक पुलिस अध्ययन में पाया गया कि जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच 259 नाबालिग हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, डकैती और जबरन वसूली की घटनाओं में शामिल थे
- **राज्यवार रुझान**: **मध्य प्रदेश** (20%) और **महाराष्ट्र** (18%) किशोर हिंसक अपराधों की कुल संख्या (2017-2022) में सबसे आगे हैं।
    - **झारखंड** में सभी किशोर अपराधों में हिंसक अपराधों की **हिस्सेदारी सबसे अधिक (67%)** थी।
    - **दिल्ली** का आकार छोटा होने के बावजूद भी इसकी हिस्सेदारी 6.8% है, जो संभवतः बेहतर रिपोर्टिंग के कारण है।
- **क्षेत्रीय हॉटस्पॉट**: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा जैसे मध्य और पूर्वी भारतीय राज्य हिंसक किशोर अपराधों के प्रमुख हॉटस्पॉट हैं।
    - इसके विपरीत, ओडिशा में केवल 10% किशोर अपराध ही हिंसक बताए गए।

भारत में किशोर अपराध में वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण -

- **परिवार का टूटना और माता-पिता से संबंधित समस्याएं:** टूटे हुए घर या माता-पिता की अनुपस्थिति भावनात्मक शून्यता और पर्यवेक्षण का अभाव पैदा करती है।
    - माता-पिता के कारावास से मनोवैज्ञानिक आघात होता है, जिससे बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं।
- **गरीबी और आर्थिक दबाव:** वित्तीय कठिनाई नाबालिगों को त्वरित धन कमाने या अधिक आकर्षक जीवन शैली के लिए अपराध की ओर धकेलती है।
    - आसान कमाई का लालच और बेतहाशा रोमांच की चाहत चोरी और डकैती को बढ़ावा देती है।
- **साथियों का प्रभाव और गिरोह संस्कृति:** किशोर स्वीकृति, स्थिति या संरक्षण के लिए गिरोहों या अपराधी साथियों के समूहों में शामिल हो जाते हैं।

  - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपराध करने और उसका प्रदर्शन करने को प्रोत्साहित करते हैं (उदाहरण के लिए, इंस्टाग्राम पर प्रसिद्धि पाने के लिए बाइक चोरी करना)।
- **मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक तनाव:** तनाव, आघात या अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक मुद्दे (जैसे आवेगशीलता या भावनात्मक अस्थिरता) अपराध के जोखिम को बढ़ाते हैं।
- **हथियारों तक आसान पहुंच:** दिल्ली में, "ड्रैगन चाकू" की उपलब्धता के कारण नाबालिगों द्वारा हिंसक हमले और यहां तक कि हत्या भी हुई है।
- **शहरीकरण और पर्यवेक्षण का अभाव:** महानगरीय क्षेत्रों में, बच्चों को वयस्कों के मार्गदर्शन का अभाव हो सकता है या वे सड़क-आधारित आपराधिक नेटवर्क में फंस सकते हैं।

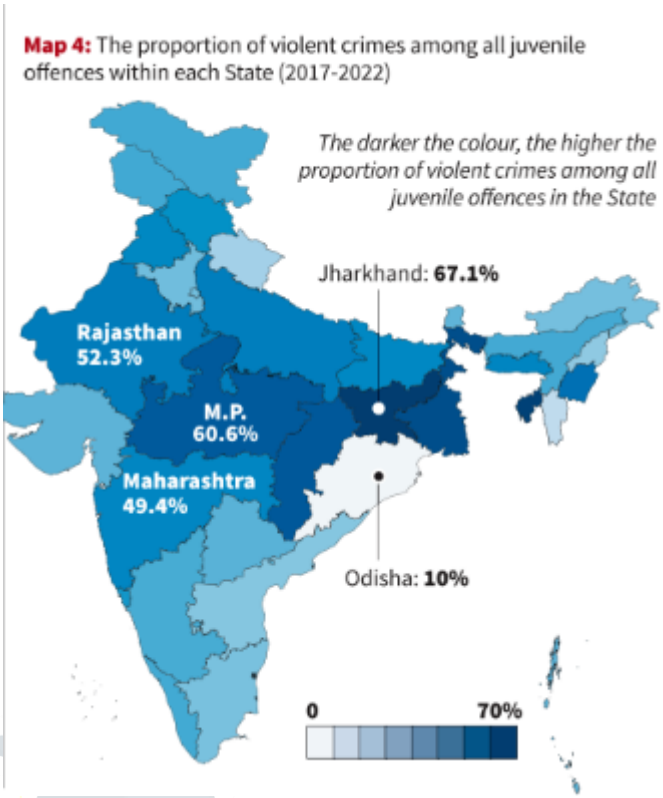

- **मीडिया एवं सांस्कृतिक प्रभाव:** फिल्मों, खेलों या सोशल मीडिया में हिंसक सामग्री के संपर्क में आने से नाबालिगों की संवेदनहीनता बढ़ सकती है और आक्रामकता सामान्य हो सकती है।
- **मादक द्रव्यों का सेवन:** शराब या नशीली दवाओं के सेवन से निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है तथा अवैध व्यवहार का खतरा बढ़ सकता है।

विशेषज्ञ क्या सुझाव देते हैं -

- जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान करके और परामर्श प्रदान करके प्रारंभिक हस्तक्षेप को लागू करना।
- पारिवारिक सहायता प्रणालियों को मजबूत करना, पालन-पोषण कौशल और मानसिक स्वास्थ्य सहायता पर ध्यान केंद्रित करना।
- पुलिस की सतर्कता बढ़ाना, विशेषकर खतरनाक हथियारों के साथ नाबालिगों को हिरासत में लेने में।
- पुनर्वास को बढ़ावा देना - जैसा कि जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत जोर दिया गया है - विस्तारित निरीक्षण गृहों और आघात-सूचित देखभाल के माध्यम से

स्रोत: The Hindu